भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 2888
गुरुवार, 12 दिसंबर, 2024/21 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

बंद पड़े विमानपत्तनों से हवाई सेवाएं पुनः आरंभ करना

2888. श्री अनिल फिरोजिया:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन विमानपत्तनों के नाम क्या हैं जहाँ पहले हवाई सेवाएं चालू थीं परन्तु किन्हीं कारणों से बंद कर दी गई हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा उक्त विमानपत्तनों से हवाई सेवाएं पुनः शुरू करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है, और

(घ) उक्त बंद पड़े विमानपत्तनों में से किन विमानपत्तनों से विमान सेवाएं पुनः आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है और यह कार्य कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): आज की तारीख तक, उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) योजना के अंतर्गत प्रचालनरत निम्नलिखित हवाईअड्डों पर विमान सेवाएं विमानों की कमी, मौसम के कारण एयरलाइन द्वारा अस्थायी निलंबन, कम पीएलएफ, आदि जैसे विभिन्न कारणों से बंद कर दी गई हैं: कुशीनगर, पाक्योंग, पोरबंदर, पठानकोट, पुडुचेरी, तेजपुर, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद और श्रावस्ती।

जिन असेवित/अल्पसेवित हवाईअड्डों को जोड़ने वाले मार्गों को एक बार अवॉर्ड किया गया था, किन्तु उन्हें आरंभ नहीं किया या जारी नहीं रखा जा सका, उन्हें उड़ान योजना के बाद के दौरों के अंतर्गत पुनः बोली प्रक्रिया के लिए शामिल किया गया है। इसके अलावा, स्लॉट समन्वय समिति की बैठकों के दौरान और वर्ष के दौरान समय-समय पर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

द्वारा एयरलाइनों से अनुरोध किया गया है कि वे उन हवाईअड्डों से अधिक उड़ानें आरंभ करें जहां क्षमता उपलब्ध है।

मौसम की स्थिति में सुधार होने पर पाक्योंग, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद और श्रावस्ती में उड़ान परिचालन पुनः आरंभ हो सकता है। इंडिगो के पास पुडुचेरी हवाईअड्डे से दिनांक 20.12.24 से अनुसूचित उड़ान परिचालन उपलब्ध है। उड़ान योजना के 5.3 और 5.4 की बोली प्रक्रिया के तहत कुशीनगर, पोरबंदर और पठानकोट से उड़ान परिचालनों के लिए मार्गों को शामिल किया गया है।

मार्च, 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरस्त होने के साथ ही भारतीय घरेलू विमान को पूरी तरह से नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। एयरलाइनें बाजार और मार्ग चुनने, किसी भी प्रकार के विमान को शामिल करने और सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों (आरडीजी) के अनुपालन के अध्यधीन प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए, किसी भी हवाईअड्डे तक या वहां से हवाई सेवाएं करने का निर्णय एयरलाइन की परिचालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।

*****